अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा
श्री मौहम्मद गनी बनाम श्री इब्राहिम व अन्य
किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नंबर 72 सन्..2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.2021	वकुलांए फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्त0 अधि0 पर पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा ग्राम बरल द्वितीय मे खसरा नंबर 442/1, 450/1, 443, 552 राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है, व खसरा नंबर 442/2 व 450/2 राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। किन्तु उक्त भूमियो का आज दिवस तक बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हुआ है। तथा संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को अन्यत्र बेचान करने के लिये आमादा है, इसलिये मौजुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टिया व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि बिना विभाजन कराये विवादित भूमि को रहन बय बेचान आदि नही करे तथा रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनो को नकारते हुये जवाब पेश कर कथन किया है, कि विवादित भूमियो का विभाजन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2055 से 2058 में नामान्तकरण संख्या 743 दिनांक 12.9.1998 के द्वारा हो चुका है,। तथा मौके पर अपने अपने हिस्सो के अनुसार तारो की बाड लगा रखी है, तथा कंकरीट के खम्भे खडे हुये है। तथा बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन होकर मिन नंबर भी कायम हो चुके है। राजस्व रेकार्ड नक्शा में मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी के काबिजानुसार तरमीम किया जावे। प्रार्थी ने अपने वाद पत्र में माननीय न्यायालय के समक्ष खसरा नंबर 443 व 552 बाबत कोई अनुतोष नही मांगा गया है। अप्रार्थी अपने खाते की खातेदारी भूमि का बेचान करना चाहता है तो प्रार्थी को किसी प्रकार से कोई असहनीय व अपूर्णीय क्षति कारीत होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद किसी भी प्रकार से ठोस दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित नही है, एंव किसी भी प्रकार से वाद में सफलता मिलने की कोई संभावना नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गैर कानूनी होने से चलने योग्य नही होने से खारीज किया जावे। मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, विवादित भूमियां का बिना विभाजन कराये अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 16:23:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72 सन् 2017
श्री मौहम्मद गनी बनाम श्री इब्राहिम वगैरह

जावे कि वह बेचान आदि नही करे राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में खसरा नंबर 443 व 552 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। तथा अप्रार्थी संख्या1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2055 से 2058 में खसरा नंबर 442, 443, 450, 551, 552, 553 का विभाजन राजस्व रेकार्ड में खाजू पुत्र छीतर व इब्राहीम पुत्र छीतर के बीच में होने का इन्द्राज दर्ज होना पाया गया। जबकि प्रार्थी ने अपने मूल वाद में खसरा नंबर 443 व 452 का कोई विवाद नही होने बाबत कथन किया गया। ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार किसी भी पक्षकार को अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि को विधि के प्रावधानो के अनुसार अपने हिस्से को बेचान करने का पूर्ण रूप से अधिकार पाया जाता है तथा प्रार्थी के हक में मामला प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का संन्तुलन बनना नहीं पाया जाता है। जहां पर प्रार्थी द्वारा प्रथम दृष्टिया केस साबित करने में असफल होने पर प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

अतः आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:23:19 IST
Reason: SelfAttested